न्याय निर्णय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट दौसा

पीठासीन अधिकारी : सुमित्रा पारीक, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 14/2024 FSSA

1. सरकार जरिये श्री मुकेश प्रजापत
   कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी दौसा।

— आवेदक—

बनाम

1. श्री अमर चन्द सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी
   मैसर्सः—सुनील किराना स्टोर, एनएच 21, रोहतरिया फैक्ट्री, महवा जिला दौसा

— अभियुक्त—

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 एफएसएस एक्ट 2006 व सपठित नियम 2011

उपस्थिति : खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित।
: अप्रार्थी अभियुक्त स्वयं उपस्थित।

—: आदेश :— दिनांकः— 30.12.2024

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 10.05.2023 को समय सायं 06:30 बजे मैसर्स सुनील किराना स्टोर एनएच 21, रोहतरिया फैक्ट्री महवा जिला दौसा का निरीक्षण किया। निरीक्षण के समय मालिक श्री अमरचन्द सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी उपस्थित मिला, जिन्होने स्वयं को उक्त फर्म का मालिक होना बताया। श्री अमरचन्द सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी को अपना परिचय देकर व परिचय पत्र दिखाकर खाद्य पदार्थ पंजीकरण पत्र दिखाने के लिये कहा तो उसने खाद्य पदार्थ पंजीकरण होना जाहिर किया। निरीक्षण के समय फर्म पर 20 बोतल 750 मिली लीटर पैकिंग में पैक सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** खरीदा। जिसकी कीमत 440 रूपये नकद देकर बिल प्राप्त किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने नमूने के लिये खरीदशुदा सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** के एक—एक बोतल मिली लीटर पैकिंग प्रति के चार नमूने तैयार कर चार लेबल तैयार कर लेबलों पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान व एफ.बी.ओ. के हस्ताक्षर करवाकर लेबलों को नमूनों पर चिपकाकर नमूनों को अलग—अलग एक खाकी कागज में लपेटकर नमूनों पर डी.ओ. व सी.एम.एच.ओ. दौसा द्वारा जारी की गई हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लीप कोड एवं सीरियल नम्बर **AG**—3469 गोंद से चिपकाकर नमूनो को एक मोटे मजबूत सख्त धागे से बांधकर नमूनों को चार—चार जगह से चपडी से सील मोहर कर नमूनो पर एफ.बी.ओ. विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं ने हस्ताक्षर कर चारो सील बन्द नमूनों को अपने कब्जे में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म नं. 5 ए की दो प्रतियां तैयार कर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर उसकी एक प्रति एफ.बी.ओ. विक्रेता को देकर उसकी रसीद फार्म नं. 5 ए पर प्राप्त की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर की गई कार्यवाही की फर्द रिपोर्ट तैयार कर उसे (विक्रेता) एफ.बी.ओ. व गवाहान को पढकर सुनाकर समझाकर उस पर स्वयं ने हस्ताक्षर कर एफ.बी.ओ. व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुंचकर फार्म नं. 6 की छः प्रतियां तैयार कर प्रत्येक पर नमूना छाप (सील इम्प्रेशन) लगाकर फार्म नं. 6 की एक प्रति व नमूने का एक सील बन्द पैकिट एक आउटर कवर में चपडी से सील मोहर कर तथा फार्म नं. 6 की दो प्रतियां अलग से एक लिफाफे में सील मोहर कर नमूने का एक सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 का सील बन्द लिफाफा श्री महादेव प्रसाद सैनी च.श्रे.क. मुख्यालय द्वारा दिनांक 11.05.2023 को खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा राज. अलवर के यहां जमा करवाये। नमूने के दो सील बन्द पैकिट व फार्म नं. 6 की दो प्रतियां एक आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.05.2023 को डी.ओ. व सीएमएचओ दौसा को जमा करवाया। नमूने का चतुर्थ सील बन्द बोतल व फार्म नं. 6 की एक प्रति आउटर कवर में सील मोहर कर स्वयं द्वारा दिनांक 11.05.2023 को डी.ओ. [illegible] को जमा करवाया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** के नमूने की खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एफ.एस./906/एक्ट/2023/928 दिनांक 23.05.2023 एवं निदेशक, रैफरल खाद्य प्रयोगशाला, [illegible] जांच रिपोर्ट संख्या **791F/FSSA/2023** दिनांक 22.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ का नमूना अवमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने पर न्याय निर्णय आवेदन पत्र खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी अभियुक्त की गई। अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं कर स्वयं बहस करने का निवेदन किया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी अभियुक्त की बहस सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:05 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बहस के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निवेदन किया कि खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./906/एक्ट/2023/928 दिनांक 23.05.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** के नमूने में **B.R. Reading, Iodine Value, Bellier Test Reading** तय मानको से अधिक एवं **Saponification Value** तय मानको से कम पाये जाने के कारण यह खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। निदेशक, रैफरल खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या **791F/FSSA/2023** दिनांक 22.11.2023 के अनुसार भी उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** के नमूने में **B.R. Reading, Saponification Value** एवं **Peroxide Value** तय मानको के अधिक होने के कारण खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का नमूना अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का विक्रय कर एफएसएसए की धारा 26 की उप धारा (2)(**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए 2006 की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** में किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं की गई है। हमारे द्वारा उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** को जैसा क्रय किया गया था वैसे ही ग्राहको को विक्रय किया गया है। हमारे द्वारा किसी भी प्रकार की कोई मिलावट इसमे नहीं की जाती है। भविष्य में भी खाद्य सुरक्षा अधिनियम के सभी मानको को ध्यान में रखकर ही खाद्य पदार्थो का विक्रय किया जावेगा। प्रकरण में कम से कम जुर्माना लगाया जाकर प्रकरण का निस्तारण फरमावे।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली तथा खाद्य विश्लेषक अलवर से प्राप्त जांच रिपोर्ट का अवलोकन किया। परिवाद में वर्णित तथ्यों एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेजात तथा खाद्य विश्लेषक अलवर की जांच रिपोर्ट संख्या एल. एस./906/एक्ट/2023/928 दिनांक 23.05.2023 एवं निदेशक, रैफरल खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर की जांच रिपोर्ट संख्या **791F/FSSA/2023** दिनांक 22.11.2023 के अनुसार उक्त खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का नमूना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की 26 (2) (**II**) के अनुसार अमानक **(Substandard)** स्तर का पाया गया है। अप्रार्थी अभियुक्त ने अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का विक्रय कर एफ.एस.एस.ए. की धारा 26 की उप धारा (2) (**II**) का उल्लंघन किया है, जिसका जुर्माना एफएसएसए की धारा 51 में वर्णित है। अतः अप्रार्थी अभियुक्त को अधिक से अधिक जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अप्रार्थी अभियुक्त द्वारा अमानक **(Substandard)** स्तर के खाद्य पदार्थ सरसो तेल ब्रांड शिवम **(Mustard Oil Brand Shivam)** का विक्रय किये जाने पर अपराध कारित होने से अप्रार्थी अभियुक्त श्री अमर चन्द सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी मैसर्सः–सुनील किराना स्टोर, एनएच 21, रोहतरिया फैक्ट्री, महवा जिला दौसा पर 5,00,000/–(अक्षरे पांच लाख रूपये) की शास्ति आरोपित की जाती है। अप्रार्थी अभियुक्त उक्त राशि निर्णय दिनांक 30.12.2024 के एक माह के अन्दर–अन्दर खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत निर्धारित **(Chief Medical & Health Officer Dausa)**के मद 0210–04–800–03–00 में जमा कराकर चालान की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत करे ।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 30.12.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा

क्रमांक/FSSA/ 2024/ दिनांकः– 30.12.2024

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशालय (जन स्वास्थ्य) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं राज0 जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधि[illegible]।
3. श्री अमर चन्द सैनी पुत्र श्री किशनाराम सैनी
   मैसर्सः–सुनील किराना स्टोर, एनएच 21, रोहतरिया फैक्ट्री, महवा जिला दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official
Signature Not Verified
Digitally signed by Sumitra Pareek
Date: 2025.02.03 11:13:05 IST
Reason: SelfAttested

(सुमित्रा पारीक)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,दौसा